23/2/21. दि० 12-2 को जनरल क्लीन के कारण पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन स्कीम प्राप्त हो चुकी है। वास्ते बहस दि० 25.2.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

25/2/21. आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित / पी ओ साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दि 1.3.21 को पेश हो।
वादी की ओर से आपत्ति पेश की गयी।

दिनांक 01–03–2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।

वादी की ओर से दिनांक 25–2–21 को विभाजन स्कीम पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि ट्रेस पर भू अभिलेख निरीक्षक व काश्तकारों के हस्ताक्षर नहीं है। वादी को मध्य में भूमि दी गयी है जो कब्जा व मौके के विपरीत है वादी को रास्ता नहीं दिया गया है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुनः विभाजन स्कीम प्राप्त की जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति का जबाब प्रस्तुत करते हुये अंकित किया है कि वादी ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। सभी खातेदारों को हिस्सा व कब्जा के अनुसार भूमि दी गयी है। सभी खातेदारों को उनकी आराजी तक पहुंचने के

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

हुकमचन्द बनाम हजारीलाल वगैरा

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लिये रास्ता का ध्यान रखा गया है। वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी जो खारिज फरमाई जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम खातेदारों के हिस्सानुसार ही तैयार की गयी है। विभाजन स्कीम पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है। विभाजन स्कीम में यह भी अंकित किया है कि खातेदारों के पहुंच मार्ग को भी ध्यान में रखा गया है। हुकमचन्द ने हस्ताक्षर नहीं किये। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाजन स्कीम तैयार करते समय वादी हुकमचन्द उपस्थित था किन्तु हस्ताक्षर नहीं किये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाती है।

वादी का वाद विभाजन स्कीम के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)